


RBE No.125/2019



PCPO's Sl.No.146/2019

No. E/205(A)/O/ECR/HJP

Dated:- 07.08.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DIRM/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/ प्रशासन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी/ मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/ समस्तीपुर/ हरनौत।
7. Sr.DPO/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/ विधि/पटना।
9. प्राचार्य/ क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/ मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/ कार्याधी/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

विषय : Fixation of Pay in the revised pay structure for running staff promoted as on 01.01.2016 or thereafter – clarifications regarding.


संदर्भ : Railway's Boards Lt.No.E(P&A)II/2019/RS/02 Dated: 02.08.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथापरि।

DA : As above.


(सौरभ सावर्ण)

वकाधि/ई.एस.एम
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ ईसीआरकेयू/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
2. महासचिव/ एस0.सी0./ एस0.टी0./ एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
3. वकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे/ हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ ओ.बी.सी. एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD) रेलवे बोर्ड

RBE No.125/2019


New Delhi, dated: 02.08.2019.

No. E(P&A)II/2019/RS/02

The General Managers,
All Indian Railways.

Sub: Fixation of Pay in the revised pay structure for running staff promoted as on 01.01.2016 or thereafter-clarifications regarding.

1. One of the Zonal Railways has sought clarification regarding the applicability of Board's instructions issued vide letter No. E(P&A)II/2010/RS-27, dated 21.03.2014 (RBE No.30/2014) in 7th CPC pay structure also in an identical situation.
2. The matter has been examined and it is seen that the instructions vide RBE 30/2014 was necessitated due to the reason that as per Rule 5 of RS(RP) Rules, 2008 a new provision of option was introduced in the 6th CPC pay structure. As per this option a person promoted to a post during the period from the date of effect of revised pay structure to the date of notification may switch over to the revised pay structure after effecting the promotion. The same provision exists in the 7th CPC pay structure as per Rule 5 of RS(RP) Rules, 2016.
3. Therefore, it is clarified that in case of employees, belonging to the non-running category who have been promoted to the running category between the period 01.01.2016 (date of effect of 7th CPC pay structure) and 28.07.2016 (date of notification) and who have also given an option as per Rule 5 of RS(RP) Rules, 2016 to switch over to the revised pay structure after effecting such promotion, the revision of pay in the 7th CPC pay structure may be done as running staff as per methodology given in Railway Board's letter No. PC-VII/2016/RSRP/1, dt. 28.07.2016, No. PC-VII/2016/RSRP/2, dt. 02.08.2016 and No. PC-VII/2016/IC/2, dt. 21.08.2017.
4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.


(N.P.Singh)
Joint Director, Estt.(P&A)
Railway Board

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) / (RAILWAY BOARD)


सं.ई(पी एण्ड ए)II-2019/आरएस/02

आरबीई सं. 125 /2019
नई दिल्ली, दिनांक: 02.08.2019

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें

विषय: 01.01.2016 को या उसके बाद पदोन्नत किए गए रनिंग स्टाफ के लिए संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण।

1. कुछ क्षेत्रीय रेलों द्वारा बोर्ड के दिनांक 21.03.2014 के पत्र सं.ई(पी एण्ड ए)II-2010/आरएस-27 (आरबीई सं.30/2014) के तहत जारी किए गए अनुदेशों, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना में भी समान स्थिति में हैं, की प्रयोजनीयता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
2. इस मामले की जांच की गई है और यह देखा गया है कि आरबीई सं.30/2014 के अनुदेशों के तहत ऐसा करना आवश्यक था क्योंकि आरएस (आरपी) नियमावली, 2008 के नियम 5 के अनुसार छठे केंद्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना में एक नए प्रावधान का विकल्प दिया गया था। इस विकल्प के अनुसार यदि किसी कर्मचारी को संशोधित वेतन संरचना के लागू होने की तारीख से अधिसूचना की तारीख की अवधि के दौरान पदोन्नत किया जाता है तो वह कर्मचारी पदोन्नत होने के बाद संशोधित वेतन संरचना का लाभ प्राप्त कर सकता है। यही प्रावधान आरएस (आरपी) नियमावली, 2016 के नियम 5 के अनुसार सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना में भी मौजूद है।
3. इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि नॉन-रनिंग कोटि से संबंधित कर्मचारियों, जिन्हें 01.01.2016 (सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना के लागू होने की तारीख) और 28.07.2016 (अधिसूचना की तारीख) की अवधि के बीच में पदोन्नत किया गया है और उन्होंने आरएस (आरपी) नियमावली, 2016 के नियम 5 के अनुसार पदोन्नत होने के बाद संशोधित वेतन संरचना के लाभ का विकल्प भी दिया है, तो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना में उनके वेतन का संशोधन किया जाए जैसा कि रेलवे बोर्ड के दिनांक 28.07.2016 के पत्र सं. पीसी-VII/2016/आरएसआरपी/1, दिनांक 02.08.2016 के पत्र सं.पीसी- VII/2016/आरएसआरपी/2 और दिनांक 21.08.2017 के पत्र सं.पीसी-VII/2016/आइसी/2 में दी गई कार्यपद्धति के अनुसार रनिंग स्टाफ के लिए किया गया है।
4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय के सहमति से जारी किया जा रहा है।


(एन.पी.सिंह)

संयुक्त निदेशक, ई (पी एण्ड ए)
रेलवे बोर्ड